

भारत में उपकर और अधभार संबंधी चर्चाएँ

प्रलिस के लिये:

[16 वॉ वतित आयुग](#), [उपकर](#), [अधभार](#), [आयकर](#), [भारत की संचति नधि](#), [वसतु और सेवा कर](#), [करुं का वभिज्य पूल](#), [राज्य सूची](#)

मेनुस के लिये:

भारतीय करधान प्रणाली, राजकोषीय संघवाद, सरकारी राजस्व संग्रह में चुनौतियाँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चरुा में करुुं?

[16 वॉ वतित आयुग](#) के अधुयकष अरवदि पनगदुधिया ने हाल ही में केंदर की [उपकरुं](#) और [अधभारुं](#) पर बढती नरिभरता के मुदुदे को "जटलि मुदुदा" बताया ।

उपकर और अधभार कया हैं?

- **उपकर:** उपकर एक प्रकर का कर है जो कसी वशिषिट उदुदेशुय के लिये लगाया जाता है । यह कर पर कर है, जो [उतुपाद शुलुक](#) या [आयकर](#) जैसे मौजूदा कर के अतरिकित लगाया जाता है, तथा प्रापुत राजस्व को कसी वशिष उपयुग के लिये नरिधारति कया जाता है ।
 - उपकर आमतुूर पर एक [वशिषिट समयावध](#) के लिये लगाया जाता है, या जब तक सरकार नरिदषिट उदुदेशुय के लिये परयापुत धनराशा एकतुर नहीं कर लेती ।
 - [80 वॉ संशुधन दुवारा अनुचुछेद 270](#) को औपचारकि रूुप से संशुधति कया गया, तथा उपकरुं और अधभारुं को स्पषुट रूुप सेवभिज्य पूल से बाहर कर दया गया (उपकरुं से प्रापुत राजस्व राजुुं के साथ साझा नहीं कया जाता) ।
 - उपकरुं को संवधान में [अनुचुछेद 277](#) और [अनुचुछेद 270](#) (जुु संघ और राजुुं के बीच राजस्व-साझाकरण ढाँचे को रेखांकति करता है) के तहत मान्यता दी गई है ।
 - उदाहरण: [शकिषा उपकर](#) (प्राथमकि शकिषा के वतितपोषण के लिये), [स्वचुछ भारत उपकर](#) (स्वचुछता पहल के लिये), और [ईधन उपकर](#) (सडुक वकिस के लिये) ।
- **अधभार:** अधभार मौजूदा शुलुकुं या करुं पर लगाया गया एक अतरिकित कर या लेवी है । यह अनवारुय रूुप से "कर पर कर" है और भारतीय संवधान के [अनुचुछेद 270 और 271](#) के तहत इसकी चरुा की गई है ।
 - अधभार प्राय: उन वुयकुतुयुं, कंपनयुं और अनुय करदाताओं पर लगाया जाता है जो उचुच आय वरुग में आते हैं । अधभार की दर आय सुतर के आधार पर अलग-अलग हुु सकती है ।
 - इनुहें प्रगतशील बनाने के लिये डुजिाइन कया गया है, ताकतु यह सुनरिचति हुु सके कतु अधकि आय वाले लुगअधकि युुगदान दें, सामाजकि समानता को बढावा मल्ले और आय असमानता कम हुु ।
 - अधभार वशिष रूुप से उचुच आय वाले या कुुछ कषेतरुं में उन वुयकुतुयुं या संसुथाओं की कुल कर देयता को बढा देता है जो पहले से ही कर के अधीन हैं ।
 - अधभार से एकतुरति धनराशा सरकार के सामानुय कुुष में जाती है और इसका उपयुग वभिनिन प्रयुजनुं के लिये कया जा सकता है, जैसे कतु बुनयादी ढाँचा परयुोजनाओं, सामाजकि कलयाण करुयकरुुं और अनुय सरकारी गतवधियुं के वतितपोषण के लिये ।
 - [13 वॉ और 14 वॉ वतित आयुग](#) ने वभिज्य पूल से अधभार को बाहर रखने का समरुथन कया; इन शुलुकुं पर केंदर की नरिभरता कम करने की सफारशि की ।
- **उपकर बनाम अधभार:** उपकर और अधभार दुनुं [भारत की संचति नधि \(CFI\)](#) में जाते हैं, लेकनि इनका उपयुग अलग-अलग हुुता है । अधभार को अनुय करुं की तरह वुय कया जाता है, जबकतु उपकर को अलग से आवंटति कया जाना चाहयि और केवल अपने वशिषिट उदुदेशुय के लिये उपयुग कया जाना चाहयि ।

उपकर और अधभार के संबंध में चर्चाएँ कया हैं?

- **केंद्र की राजकोषीय बाधाएँ:** वभाज्य कर पूल में राज्यों की हसिसेदारी 13 वें वतित्त आयोग के तहत 32% से बढ़कर 14 वें वतित्त आयोग के तहत 42% और 15 वें वतित्त आयोग के तहत 41% हो जाने से केंद्र की राजकोषीय क्षमता कम हो गई है।
 - इसके परतसिंतुलन के लिये, केंद्र सरकार उपकरों और अधभारों पर अधिक नरिभर हो रही है, जनिहें राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता।
 - मूलतः **अस्थायी उपाय** के रूप में **परकिलपति अधभार और उपकर भारत की कर प्रणाली में स्थायी प्रावधान** बन गए हैं, जिससे राजकोषीय संघवाद पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं।
- **राज्यों की चिंताएँ:** उपकर और अधभार वर्ष 2011-12 में 10.4% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 20% हो गए। यह परवृत्तप्रभावी रूप से राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले करों के पूल को कम करती है, उनके राजकोषीय लचीलेपन को सीमति करती है और **राजकोषीय संघवाद** की भावना को कमजोर करती है।
 - राज्यों ने लगातार **उपकरों और अधभारों पर सीमा लगाने** तथा अधिक राजस्व वतिरण सुनिश्चित करने के लिये **किसी भी अतरिकित संग्रह को वभाज्य पूल में शामिल करने की मांग** की है।
 - यह मुद्दा केंद्र और राज्यों के बीच **शक्ति और वतितीय स्वायत्तता के बीच संतुलन** की चुनौती को रेखांकित करता है, जिससे राज्यों की **महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को वतित्तपोषित करने** और वकिसात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर **संभावित रूप से असर** पड़ सकता है।
- **पारदर्शिता और अस्पष्टता का अभाव:** चूँकि उपकर वशिषिट उद्देश्यों के लिये एकत्र किये जाते हैं, इसलिये वे कर राजस्व के **आवंटन और वतिरण में पारदर्शिता को कम** करते हैं।
 - राज्यों का तर्क है कि कराधान की यह पद्धति **न्यायसंगत राजस्व बंटवारे के सिद्धांतों को दरकिनार कर देती है।**
 - **स्वच्छ भारत और कृषकिलयाण उपकर** जैसे कई उपकर **सामान्य करों की तरह संसदीय नगिरानी के अधीन नहीं हैं।**
 - उपकर से प्राप्त आय के उपयोग में वसिगतयिँ हैं। उदाहरण के लिये, **अनुसंधान एवं वकिसा उपकर** का उपयोग आंशिक रूप से केंद्र सरकार के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये किया गया (न कि इसके लक्षित उद्देश्य हेतु)।
- **असमान कराधान:** उपकर एवं अधभार से समाज का धनी वर्ग असमान रूप से प्रभावित (क्योंकि ये प्राथमिक योगदानकर्त्ता होते हैं) होता है।
 - आलोचकों का तर्क है कि इससे नषिपक्षता संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होने के साथ **धनी लोग तथा व्यवसाय अधिक कर-अनुकूल देशों** की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं।

करों का वभाज्य पूल क्या है?

- **करों के वभाज्य पूल का आशय केंद्र** सरकार द्वारा एकत्रित कुल कर राजस्व के उस हसिसे से है जिसे भारत में राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
 - यह राजकोषीय संघवाद का एक प्रमुख घटक है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र एवं राज्य को अपने-अपने कार्यों हेतु संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो।
- **प्रमुख वशिषताएँ:**
 - **कर:** वभाज्य पूल में केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित कर (**नगिम कर, व्यक्तगत आयकर और वस्तु एवं सेवा कर**) शामिल होते हैं।
 - **वतित्त आयोग:** वभाज्य पूल का वतिरण **वतित्त आयोग** (जसिका गठन प्रत्येक **पाँच वर्ष** में किया जाता है) की सफारिशों पर आधारित होता है।
 - वतित्त आयोग संघ एवं राज्यों के लिये इसमें परतशित हसिसेदारी का सुझाव देता है।
 - 15वें वतित्त आयोग ने सफारिश की है कि **राज्यों को वर्ष 2021-2026 की** अवधिके लिये केंद्रीय करों के वभाज्य पूल का 41% प्राप्त हो।
 - **ऊर्ध्वाधर एवं कषैतजि अंतरण:**
 - **ऊर्ध्वाधर अंतरण (Vertical Devolution):** इसका आशय संघ एवं राज्यों के बीच आवंटित वभाज्य पूल के अनुपात से है।
 - **कषैतजि हसतांतरण:** इसका तात्पर्य वभाज्य पूल में से राज्यों को वतिरित धन (जो **जनसंख्या, आय असमानता एवं कर प्रयासों जैसे कारकों पर आधारित होता है**) से है।
- **उपकर और अधभार को अलग रखना:** संघ द्वारा लगाए गए उपकर एवं अधभार को वभाज्य पूल से **अलग** रखा गया है।

वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है

- भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन

गठन:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

सदस्य:

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित) - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- कार्यकाल: जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है
- पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं

एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं

○ पहला वित्त आयोग (1952-57)

- अध्यक्ष- के. सी. नियोगी

○ दूसरा वित्त आयोग (1957-62)

- अध्यक्ष- के. संथानम

○ पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2021-2026)

- अध्यक्ष- एन.के. सिंह

○ राज्य वित्त आयोग

- राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष में गठित (अनुच्छेद 243)
- पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु अनुदान का निर्धारण
- राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संबर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।



उपकर और अधभार पर अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ

■ अधभार:

- **जर्मनी:** एकजुटता अधभार 1991 में जर्मन के एकीकरण और खाड़ी युद्ध के अपव्ययों को पूरा करने के लिये आरंभ किया गया था। शुरू में यह अस्थायी था, लेकिन वर्ष 1995 में इसे पुनः शुरू किया गया जो आज भी जारी है।
- **फ्रांस:** राजकोषीय चुनौतियों से निपटने के लिये अस्थायी रूप से अधभार लगाया गया।

■ उपकर:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अलबामा जैसे राज्य वशिष्ट उद्देश्यों के लिये पर्याप्त कर राजस्व निर्धारित करते हैं।
- **ऑस्ट्रेलिया: मेडकियर लेवी (वर्ष 1984 में आरंभ हुई)** चिकित्सा सहायता हेतु नधिप्रदान करने के लिये एक व्यक्तगत आयकर है। अन्य अस्थायी कर, जैसे कबिंदूक वापस खरीदना और एन्सेट टिकट लेवी, अल्पकालिक रहे हैं, जो कुल राजस्व में न्यूनतम योगदान देते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया की संवैधानिक संरचना निर्धारित करों के सुसंगत उपयोग को सीमित करती है।

उपकर और अधभार से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये क्या किया जा सकता है?

■ उपकर:

- **अधशिपण:** केंद्र सरकार को **राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले मुद्दों**, जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पर उपकर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह संघीय संधिधाराओं को कमजोर करता है।
 - **उपकर संग्रहण की एक अधिकतम सीमा निर्धारित करना और उससे अधिक संग्रहण से बचना।**
- **पारदर्शिता:** नधियों का स्पष्ट आवंटन और उपकर संग्रह में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। उपकरों की प्रभावशीलता और आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिये एक **संरचित, आवधिक समीक्षा प्रक्रिया स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।**
 - यदि **दुरुपयोग होता है, तो उपकर नधि को सामान्य कर में हस्तांतरित कर दिया जाए तथा वित्त आयोग की सफारिशों के आधार पर राज्यों को हिससा दिया जाए।**
- **उन्मूलन:** ऐसे उपकर, जो **बहुत कम राजस्व उत्पन्न करते हैं**, उन्हें समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से अकुशल हैं तथा करों की जटिलता को बढ़ाते हैं।
 - **अधिकतम 5 वर्षों के लिये उपकर लगाना**, एक संभावित वस्तितार के साथ, जिसके बाद उन्हें समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। अनश्चित काल तक जारी रहने को सीमित करने के लिये उपकर कानून में समापक खंड शामिल करना।

■ अधभार:

- **आयकर का युक्तिकरण:** अधभार प्रायः **प्रगतशील आयकर हेतु एक प्रॉक्सी के रूप में कार्य करते हैं। इसे आयकर संरचना को ही युक्तिसंगत बनाकर**, बजाय अधभार जोड़े वशिषतः उच्च आय सलैब पर, संबोधित किया जा सकता है,।
- **अधभार की अस्थायी प्रकृति:** अधभार को अस्थायी बनाया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल **वित्तीय संकट के दौरान किया जा सकता है**, तथा उनके सतत् उपयोग को रोकने के लिये समापक खंड लगाया जा सकता है, तथा वे स्थायी कर साधन बन सकते हैं।

नषिकर्ष

भारत में उपकरों तथा अधभारों पर निर्भरता से कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को बढ़ावा मिला है। इनके उपयोग को सीमित करने तथा इस क्षेत्र में स्थायित्व को बढ़ावा देने हेतु स्पष्ट दशा-निर्देशों के साथ समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता है। अधभारों का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्र में जवाबदेहता को बढ़ावा देना चाहिए।

???????? ???? ???? ???? ????:

प्रश्न: उपकरों एवं अधभारों पर केंद्र सरकार की बढ़ती निर्भरता तथा भारत में राजकोषीय संघवाद पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????:

प्रश्न. नमिनलखित पर वचिार कीजिये: (2023)

1. जनांकिकीय नषिपादन
2. वन और पारस्थितिकी
3. शासन सुधार
4. स्थिर सरकार

5. कर एवं राजकोषीय प्रयास

समस्तर कर-अवकरण के लयि पंदरहवें वतित आयोग ने उपरयुक्त में से कतिने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा नकिष के रूप में परयुक्त कयिा?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) केवल चार
- (d) सभी पाँच

उत्तर: (b)

??????:

पर. 13वें वतित आयोग की उन सफिरशिों पर चर्चा कीजयि जो स्थानीय सरकार के वतित को मजबूत करने हेतु पछिले आयोगों से अलग हैं । (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/concerns-over-cess-and-surcharges-in-india>

